

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 416/2013
संस्थान दिनांक 31.07.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

जगदीश पिता दीपाजी सिर्वी, आयु 60 वर्ष,
निवासी- अवली रोड़, अंजड़,
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 30/01/2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 193/2013 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. एवं गौण खनिज अधिनियम, 1996 की धारा 53 में दिनांक 31.07.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध दिनांक 12.07.2013 को समय 21:30 बजे, स्थान- साईं मंदिर के पास अंजड़ में नर्मदा नदी के पास से शासकीय स्थान से 15 टन बालु रेत जिसका मूल्य कुल 12,000/- रुपये की बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी करने तथा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे खनिज, रेती का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर ऐसा कृत्य किया है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1ए) सहपठित धारा 21 (1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित धारा 18 का उल्लंघन होने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21 (1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है, के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 12.07.2013 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के आधार पर पुलिस ने पंचसाक्षी देवेन्द्र एवं मयूर को अवगत कराकर मय फोर्स के दबिश देकर साईं मंदिर अंजड़-धनोरा बसाहट के पास वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 में जगदीश से बालू रेत भरकर इन्दौर की ओर जाने वाला है तथा उक्त बालू रेत चोरी कर नर्मदा किनारे से लाते हैं। पुलिस द्वारा उक्त स्थान के सामने पहुँच कर उक्त ट्रक को रोककर एवं चेक किया अभियुक्त जगदीश से रेत की रायल्टी के संबंध में पूछे जाने पर अभियुक्त ने रायल्टी नहीं होना बताया जिसके आधार पर पुलिस थाना अंजड़ अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 193/2013 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. एवं गौध खनिज अधिनियम, 1996 की धारा 53 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 3 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मयूर की निशांदाही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त जगदीश से वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 को मय प्रपत्र तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति के जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त जगदीश को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी देवेन्द्र, मयूर व शांतिलाल के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 379 भादस एवं गौण खनिज अधिनियम, 1996 की धारा 53 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21 (1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है, के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.07.2013 को समय 21:30 बजे, स्थान— साईं मंदिर के पास अंजड़ में नर्मदा नदी के पास से शासकीय स्थान से बालू रेत 15 टन जिसका मूल्य कुल 12,000/— रुपये की बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे खनिज, रेती का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर ऐसा कृत्य किया है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1ए) सहपठित धारा 21 (1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित धारा 18 का उल्लंघन है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में देवेन्द्र यादव (अ.सा.1), मयूर पाटीदार (अ.सा.2), सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव (अ.सा.3), शांतिलाल (अ.सा.4) एवं हिम्मतसिंह (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न 1 एवं 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 12.03.2013 को वह सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रोड़ गश्त करने के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि साईं मंदिर धनोरा बसाहट के पास ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 का चालक जगदीश पिता दीपाजी निवासी, आवली बसाहट ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 में बालु रेत भरकर इन्दौर की ओर जाने वाला है तथा रेती बड़दा नर्मदा नदी के किनारे से अवैध उत्खनन कर रहा है, यह सूचना उसने देवेन्द्र एवं मसूर को बुलाकर बताई थी तथा उनको साथ लेकर धनोरा बसाहट साईं मंदिर के सामने पहुँचे जहाँ पर एक ट्रक का चालक ट्रक को चालु कर इन्दौर की ओर ले जाने लगा था, जिसे रोककर चेक किया। वह ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 था। चालक का नाम पता पूछने पर जगदीश पिता दीपाजी, निवासी आवली बसाहट का होना बताया और रायल्टी एवं अन्य दस्तावेज नहीं होना बताये थे। उसने घटनास्थल से उक्त ट्रक जिसमें बालु रेत लगभग 15 टन भरी हुई थी, वाहन के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, परमिट, बीमा पॉलिसी तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति के साथ जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके सी से सी भाग पर

उसके हस्ताक्षर है। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। वह जप्त वाहन, बालु रेत एवं अभियुक्त को लेकर अंजड़ थाने आया तथा थाने पर अपराध क्रमांक 193/13 प्रदर्शपी 3 का दर्ज किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान उसने साक्षी मयूर एवं शांतिलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने ग्राम बड़दा पटवारी हल्का नम्बर 2 एवं ट्रेस नक्शा एवं खसरा वर्ष 2012-13 प्रदर्शपी 5 का तहसील न्यायालय अंजड़ के साथ पेश किया।

8. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने मुखबिर की सूचना बड़वानी रोड़ अंजड़ पर गश्त करते समय प्राप्त होना बताया। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे मुखबिर से सूचना मंदिर के थोड़ा आगे रात्रि लगभग 9:10 बजे प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होने के लगभग वह 10-15 मिनट बाद वह वहाँ पहुँच गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने हमराह साक्षियों को सूचना पत्र नहीं दिया था। एक साक्षी देवेन्द्र उसके साथ था जो उसके वाहन का चालक था और दूसरा साक्षी उसे रास्ते में मिल गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जहाँ से रेत का उत्खनन हो रहा है, वहाँ का कोई नक्शा मौका पंचनामा नहीं बनाया था, स्वतः कहा कि उसने पटवारी से नक्शा बनवाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम बड़दा जाकर वहाँ के आसपास के निवासियों से पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वहाँ के व्यक्तियों ने भी अवैध रेत उत्खनन में शामिल रहते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह जिस समय ट्रक के पास पहुँचा था, वहाँ पर उस समय कोई आसपास नागरिक नहीं थे, इसलिए उसने आसपास के नगरिकों के कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शपी 4 में बी स्थान पर बालु रेत पड़ी हुई थी तथा उसे उसी स्थान से ट्रक में भरा गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त से पूछा था, लेकिन उक्त कथन के संबंध में उसका कोई मेमोरेण्डम नहीं बनाया गया था। साक्षी का यह कथन उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मेमोरेण्डम चोरी की सम्पत्ति बरामद किये जाने के संबंध में बनाया जाता है तथा इस प्रकरण में अभियुक्त से उक्त रेत ट्रक सहित पहले ही जप्त की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त से पूछताछ का कोई मेमोरेण्डम नहीं बनाया जाने से कोई भी अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। साक्षी ने यह ध्यान होने से इंकार किया कि उसने अवैध बालु रेत पकड़ने की सूचना खनिज विभाग को दी थी या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया कि नर्मदा नदी के किनारे काफी बालु रेत पाई जाती है तथा पहले उक्त रेत विक्रय के लिए शासन द्वारा खदान नीलाम की जाती है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि बड़दा क्षेत्र में बालु रेत की खदान नहीं है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी के कथनों का इस बिन्दु पर कोई खण्डन नहीं हुआ है कि उसने अभियुक्त को नर्मदा नदी के किनारे ग्राम बड़दा से अवैध रूप से बालु रेत से भरे हुए ट्रक के साथ पकड़कर गिरफ्तार किया था।

9. देवेन्द्र यादव अ.सा.1, मयूर पाटीदार अ.सा. 2 अभियुक्त से उक्त रेत एवं ट्रक जप्त करने के साक्षीगण हैं, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने प्रदर्शपी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर विवेचना अधिकारी श्री यादव के कहने से थाने पर करना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षियों से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि लगभग 14-15 माह पूर्व वे श्री यादव के साथ ग्राम बड़दा साईं मंदिर के पास गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वहाँ अभियुक्त को उक्त ट्रक में अवैध रूप से भरी हुई बालु रेत के साथ गिरफ्तार किया था। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 एवं प्रदर्शपी 4 का कथन देने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षियों का यह कथन नहीं है कि श्री यादव ने उनसे जबरजस्ती या बिने पढ़ाये हुए हस्ताक्षर करवाये थे। यद्यपि उक्त साक्षियों ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि जब उन्होंने हस्ताक्षर किये थे तब अभियुक्त उपस्थित नहीं था और उस समय ट्रक एवं बालु रेत भी नहीं थी।

10. शांतिलाल अ.सा. 4 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। वर्ष 2012 में उसने वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 क़य किया था, तब से उक्त वाहन का चालक अभियुक्त था। लगभग 1 वर्ष पूर्व पुलिस ने उसके ट्रक को पकड़ लिया था, तब ट्रक खाली था। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जब पुलिस ने उसका ट्रक जप्त किया था, तब उसमें बालु रेत भरी हुई थी और अभियुक्त के पास रायल्टी एवं दस्तावेज रेती के संबंध में नहीं थे। साक्षी ने स्पष्ट किया कि घटना के समय वह अंजड़ में नहीं था और उसने बाद में पुलिस को वाहन खराब होने के संबंध में दस्तावेज दिये थे। उसकी ट्रक घर पर खराब अवस्था में खड़ी थी और ट्रक का एक्सीलेटर खराब होने से वह चल नहीं रहा था। उसने उक्त ट्रक को ठीक कराने के लिए कम्पनी को फोन किया था, तब कम्पनी वाले आये थे। साक्षी ने अपने ट्रक खराब होने की सूचना बक्शी ऑटो गैरेज, महू को देना और ट्रक की रिपेयरिंग का बिल प्रदर्शडी 1 एवं प्रदर्शडी 2 प्रदर्शित किया है। अभियोजन की ओर से किये गये पुनः परीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शडी 1 में दिनांक 08.07.2013 लिखी है और प्रदर्शडी 2 में दिनांक 11.07.2013 लिखा है। इस साक्षी द्वारा प्रदर्शित कराये गये प्रदर्शडी 1 के दस्तावेज से प्रकट होता है कि इस साक्षी द्वारा दिनांक 08.07.2013 को उक्त ट्रक रिपेयर करवाने के लिए दिया गया था जो दिनांक 11.07.2013 को बक्शी ऑटो गैरेज द्वारा सुधार कर वापस किया गया तथा इस अपराध की घटना दिनांक 12.07.2013 रात्रि लगभग 09:30 बजे है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी शांतिलाल अ.सा. 4 का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि घटना के समय उसका ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 खराब अवस्था में था और चलने की स्थिति में नहीं था। चूँकि उक्त प्रदर्शडी 1 एवं प्रदर्शडी 2 के दस्तावेज उक्त साक्षी द्वारा ही पेश किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों में लिखी हुई तिथियों से ही साक्षियों के मुख्य परीक्षण में दिये गये कथन का खण्डन हो जाता है कि अपराध दिनांक को साक्षी का ट्रक खराब अवस्था में उसके घर पर खड़ा था।

11. हिम्मत मण्डलोई अ.सा. 5 का कथन है कि वह वर्ष 2013 में ग्राम बड़दा तहसील अंजड़ के पटवारी हल्का नम्बर 2 में पटवारी के पद पर पदस्थ था। उसने तहसीलदार अंजड़ द्वारा मौखिक रूप से आदेश कर ग्राम बड़दा नर्मदा नदी किनारे की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 86 रकबा 3.991 चारागाह पेकी भूमि 0.200 आरे के संबंध में ट्रेस नक्शा एवं प्रतिवेदन चाहा था तो उसने दिनांक 23.07.2013 को ग्राम बड़दा में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 86 पर पहुँचकर उक्त स्थान का ट्रेस नक्शा प्रदर्शपी 5 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके द्वारा लाल स्याही से उसके द्वारा चिन्हित किया गया था जहाँ से अवैध उत्खनन शासकीय भूमि से किया गया था। प्रदर्शपी 5 के नक्शे में बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त ट्रेस नक्शे को दिनांक 27.07.13 को प्रदर्शपी 7 के प्रतिवेदन और प्रदर्शपी 6 का खसरा वर्ष 2012-13 की थाना प्रभारी अंजड़ को भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह दिनांक 23.07.2013 को प्रातः 10 बजे मौके पर गया था। वहाँ पर कोई बालु रेत का उत्खनन उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि जहाँ पर उसने ट्रेस नक्शा बनाया था, वहाँ से रेत निकली हुई थी और उक्त स्थान पर गड़डा एवं जमीन थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह जिस समय मौके पर गया उस समय वहाँ पर जिस स्थान से रेत निकली थी उस स्थान को देखने से लग रहा था कि 2-4 घंटे पूर्व रेत निकाली है, लेकिन साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जिस समय वह मौके पर पहुँचा उस समय वहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन नहीं हो रहा था तथा वहाँ ट्रैक्टर ट्राली, जे.सी.बी. एवं पोखलेन मशीन नहीं थे।

12. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 तथा म.प्र. खनिज (अवैध खनन परिहवन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 तथा खान एवं (खनिज विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी उक्त संबा में कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है तथा म.प्र. खनिज नियम, 2006 की धारा 1(ख) के अनुसार केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही खनिजों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सशक्त है। इसी प्रकार म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 की धारा 2 (8) के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी को उक्त अधिनियम के अंतर्गत जप्ती, तलाशी एवं गिरफ्तारी करने की शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है और इस संबंध में कार्यवाही केवल प्राधिकार अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से खनिज का उत्खनन किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी को कोई भी कार्यवाही करने के पूर्व प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति या आवेदन लेना आवश्यक है जो कि नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का सम्पूर्ण मामला दूषित हो जाता है और यहाँ तक कि न्यायालय को पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर प्रकरण का संज्ञान लेने का भी अधिकार नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षीगण पक्षविरोधी रहे हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भादस की धारा 379 का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है।

13. यह सही है कि पुलिस अधिकारी को मप्र. गौण खनिज नियम एवं नियम 1996 एवं म.प्र. खनिज नियम, 2006 के अंतर्गत कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उक्त नियमों में परिभाषित प्राधिकृत अधिकारी की परिभाषा में पुलिस को सम्मिलित नहीं किया गया है लेकिन अभियुक्त द्वारा घटना, दिनांक, स्थान व समय पर में शासकीय स्थान नर्मदा नदी के पास ग्राम बड़दा से अवैध रूप से बालु रेत का परिवहन किया जा रहा था जिसके संबंध में अभियुक्त के पास कोई परिवहन अनुज्ञा पत्र, रायल्टी या अन्य कोई दस्तावेज नहीं था। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कार्य भा.द.स. की धारा 379 में परिभाषित चोरी के अपराध में आता है, जहाँ तक जप्ती पंचनामों के साक्षियों के पक्षविरोधी होने का प्रश्न है, विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जप्ती पंचनामों के साक्षियों के पक्षविरोधी मात्र से प्रकरण में कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी की सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय मान लिया जाये।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत करमजीतसिंह विरुद्ध स्टेट, 2003 (5) एस.सी.सी. 298 तथा नाथुसिंह विरुद्ध म.प्र.राज्य, 1973, सु.को. 2783 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य को केवल इस आधार पर यांत्रिक तरीके से तिरस्कृत नहीं करना चाहिए कि अन्य अभियोजन साक्षियों ने मामले का समर्थन नहीं किया है। पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य को भी स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना किसी आधार के अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत मनोज कुमार शुक्ला विरुद्ध म.प्र. राज्य, 2004 (4) एम.पी.एल.जे. 179 भी अवलोकन योग्य है। ऐसी स्थिति में जप्ती पंचनामों के साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने के मात्र से अभियोजन का सम्पूर्ण मामला दूषित नहीं हो जाता, जब तक कि बचाव पक्ष की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं की गई हो, जिससे कि यह प्रमाणित हो कि पुलिस अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्वक अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

15. सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव अ.सा. 3 ने घटना दिनांक 12.07.13 को रात्रि लगभग 9:30 बजे, साईं मंदिर के पास अंजड़ से अभियुक्त को उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 में नर्मदा नदी के किनारे बालु रेत भरकर परिवहन करते हुए पकड़ा तथा उसके आधिपत्य से बालु रेत एवं उक्त ट्रक जप्त किया, जिसका परिवहन करने का अभियुक्त के पास कोई लायसेंस नहीं था। शांतिलाल अ.सा. 4 के कथन से भी यह प्रमाणित होता है कि पुलिस ने उसके ट्रक को जप्त किया था तथा साक्षी द्वारा प्रदर्शनी 1 एवं 2 के दस्तावेजों से भी साक्षी को उक्त कथन का समर्थन नहीं होता है कि घटना दिनांक को उसका ट्रक खराब अवस्था में घर पर खड़ा था। हिमंत मण्डलोई अ.सा. 5 के कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ग्राम बड़दा में नर्मदा नदी के किनारे शासकीय भूमि है जहाँ पर रेत है। देवेन्द्र यादव अ.सा. 1 एवं मयूर पाटीदार अ.सा. 2 ने भी जप्ती पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये

हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त को घटना दिनांक, स्थान व समय पर ग्राम बड़दा में नर्मदा नदी के किनारे अवैध रूप से बालु रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया था, जिससे परिवहन करने का अभियुक्त के पास कोई दस्तावेज नहीं था और चूँकि उक्त भूमि शासकीय थी, जहाँ से अभियुक्त द्वारा रेत का परिवहन किया जा रहा था, वह शासकीय थी, ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा शासकीय सम्पत्ति बालु रेत की चोरी राज्य शासन की अनुमति के बिना चोरी करने के लिए भा.द.स. की धारा 379 का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को उक्त धारा में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

16. जहाँ तक अभियुक्त के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1ए) सहपठित धारा 21 (1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित धारा 18 के अपराध का प्रश्न है। चूँकि रामाश्रय यादव अ.सा. 3 इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नहीं है और उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी को कार्यवाही करने के लिए आवेदन या अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 22 के अनुसार न्यायालय को उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लेने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है, जब तक कि उस व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त जगदीश को भा.द.स. की धारा 379 में दोषसिद्ध किया गया है। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया गया। अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

पुनश्च:

18. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त जगदीश एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया। उनका यह निवेदन है कि अभियुक्त परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। उसने विचारण का शीघ्रता से सामना भी किया है।

19. यह सही है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभियोजन ने प्रमाणित नहीं की है और अभियुक्त द्वारा विचारण का शीघ्रता से सामना किया है, जिससे प्रकरण का निराकरण शीघ्रता से हुआ है, लेकिन अभियुक्त ने जिस तरह से शासकीय भूमि से रेत की चोरी की, उसे देखते हुए अभियुक्त सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त जगदीश पिता दीपाजी, आयु 60 वर्ष, निवासी ग्राम आवली रोड़ अंजड़ को भा.द.स. की धारा 379 में दोषिद्ध ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा बिताई गई अभिरक्षा की अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने हेतु द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

21. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क अविलंब दी जाये।

22. प्रकरण में जप्त बालु रेत 15 टन अपील अवधि पश्चात् राजसात की जाती है। अपील अवधि पश्चात् उक्त रेत नीलाम कर राशि कोषालय में जमा कराने हेतु थाना प्रभारी अंजड़ को पत्र जारी किया जाये। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 7736 दिनांक 18.07.2013 को उसके पंजीकृत स्वामी शांतिलाल पिता पुनिया, निवासी-ग्राम पिपलिया, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी को सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 416/2013 (शासन पुलिस अंजड़ विरुद्ध जगदीश) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम	:-	जगदीश पिता दीपाजी सिर्वी, आयु 60 वर्ष, निवासी- अवली रोड़, अंजड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.
गिरफ्तारी का दिनांक	:-	12.07.2013
पुलिस रिमाण्ड की अवधि	:-	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में अवधि	:-	13.07.2013 से 22.08.2013 तक

इस प्रकार अभियुक्त ने कुल 32 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //
न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 29.11.2014 तक

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- सुनिल उर्फ गोलू पिता सुभाष, आयु 20 वर्ष
निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 20.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 29.10.2014 से निरंतर

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में
कुल 31 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

